



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-20.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अब्बास उर्फ समीर अहमद को अश्लील टिप्पणी व मारपीट करने के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा 3 माह के साधारण कारावास व 100 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

!

थाना-लक्सा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 76/2023 धारा- 294,323 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अब्बास उर्फ समीर पुत्र सगीर अहमद निवासी 15/01 लल्लापुरा मुस्लिम स्कूल के पास महमूरगंज थाना सिगरा जनपद वाराणसी को थाना लक्सा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 20-02-2024 को मा0 न्यायालय ACJM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त अब्बास उपरोक्त को धारा-294 में एक माह का साधारण कारावास व धारा-323 भादवि में तीन माह का साधारण कारावास व 100 रू0 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थ दण्ड न देने पर 03 दिवस का साधारण कारावास भुगतान होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी